

पत्र संख्या/एफ0टी0. 48-3815/2018(एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषित: क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश-1710001

दिनांक शिमला-1

19 JUN 2023

विषय: **Diversion of 15.94 hectare of forest land in favour of HPPWD for the constructin of Mud Road Kms. 0/00 to 28/430 within the jurisdiction of WL Division Spiti, Distt. Lahaul & Spiti, H.P. (Proposal No. FP/HP/Road/36476/2018).**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर FC/HPB/06/54/2020/FC दिनांक 29/10/2020 के संदर्भ में।

2

उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि के दूगने पर पौधों का रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जहां व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
(ख) जिला लाहौल स्पिति में बंदोवस्त न होने के कारण वन भूमि का खसरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) वन मण्डलअधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(घ)प्रयोक्ता अभिकरण से FCA, 1980 के उलघन के लिए वन विभाग द्वारा Penal NPV की राशि जमा करवा ली गई है।

4. प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमाकन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में जमा करा दी गई है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य:**

क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) The user has deposited the NPV 10 times of the Normal NPV as the proposd area falls in National Park.

(ग)शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।

6. CWLW के comments पत्र के साथ संलग्न कर लिए गए हैं।
7. राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापण पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08.02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि नेशनल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
8. प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्षों का कटान नहीं किया जाएगा।
9. एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी ने इस प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) की राशी 9493281/- ₹0, Contingencies charges on CA की राशी 474664 तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशी 111420600/- ₹0, दण्डात्मक प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Penal CA) की राशी 49404401/- ₹0, जो कुल 170792946/- ₹0 बनती है, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में जमा की है।
11. प्रयोक्ता अभिकरण आई आर0 सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
12. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे।
13. इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
14. केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Layout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
15. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।
17. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा जिसकी बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
20. केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन बद्धता की प्रति संलग्न है।
21. इस शर्त से सम्बन्धित बचनबद्धता संलग्न है।
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि जो इस प्रस्ताव में लागू होते हो तो उनके अधिन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।
23. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।


 भवदीप
 नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
 अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि०प्र०

3815
No. WL (Misc.)-18/Diversion/Vol-VIII/ 6801
Himachal Pradesh Forest Department

Dated Shimla-1, the 28/12/2020

From: Principal CCF Wildlife and CWLW, HP Shimla. To: Nodal Officer-cum-APCCF (FCA)
O/o Pr. CCF (HoFF) Shimla.

Subject: Diversion of 15.94 ha. of forest land in favour of HPPWD for the c
construction of Mud Road within the jurisdiction Kaza Forest
Division, District Lahaul Spiti, HP (Online No. FP HP Road
36476/2018)

Memo.

Kindly refer to your office memo. No. Ft. 48-3815/2018 (FCA)
dated 18.07.2020 on the subject cited above.

In this regard, it is submitted that the matter has been got enquired
into through CF WL Shimla and on the basis of his report the comments of undersigned
in respect of animal passage plan are as under:-

1. That the first bailey bridge of 60 mtr span will be constructed
over Larbang stream at RD 10/200 and will be provided with
pedestrian path along one side of the bridge to facilitate
passage of wild animals.
2. That the second bailey bridge of 48 mtr span will be
constructed over Manikaran stream at RD 16/500 similar to the
first bridge.
3. One culvert of 6 mtr length will be constructed at RD 23/500
and its construction will not affect animal passage. The
provisions made for animal passage appear sufficient for the
proposal.

However, while taking further necessary action in the matter it
may be ensured that all the instructions, rules, stipulations and guidelines on diversion of
land in Wildlife Sanctuary are strictly observed and adhered to.

This is for favour of information and further necessary action at
your end please.

Archan
PCCF, WL. &
CWLW, HP

S/FCA
29/12/20

28989
30/12/20